न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 47 /2022

उनवान

1. गणिया पुत्री नाना कहार निवासी शाहपुरा
2. मु0 डाली पुत्री मोहन नाबालिग सरपरस्त माता सीता पत्नि मोहन कहार निवासी शाहपुरा
3. पूजा पुत्री मोहन नाबालिग सरपरस्त माता सीता पत्नि मोहन कहार निवासी शाहपुरा
4.मैना पुत्री मोहन नाबालिग सरपरस्त माता सीता पत्नि मोहन कहार
5.राजु पुत्र नाना कहार निवासी शाहपुरा 6.रामनिवास पुत्र नाना कहार निवासी शाहपुरा7.लाडा पुत्री नाना कहार निवासी शाहपुरा 8लादी पुत्री नाना कहार निवासी शाहपुरा 9.शिवराज पुत्र मोहन कहार नाबालिग जरिये सरपरस्त माता सीता पत्नि मोहन कहार निवासी शाहपुरा 10.सीता पत्नि मोहन कहार निवासी शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1.मोडू पिता नंदा कहार निवासी उदयभान गेट शाहपुरा 2.रामपाल पिता गोमदा तेली निवासी उदयभान गेट शाहपुरा 3.राजु पुत्र भगवान कहार निवासी उदयभान गेट शाहपुरा 4.छगना पुत्र भूरा कहार निवासी उदयभान गेट शाहपुरा 5.रामा पुत्र देबी-कहार निवासी उदयभान गेट शाहपुरा 6.दुर्गा पिता गंगाराम कहार निवासी उदयभान गेट शाहपुरा 7गंगाराम पिता नंदा कहार निवासी उदयभान गेट शाहपुरा
8रामलाल पिता जगन्नाथ धाकड निवासी किलिजंरी गेट शाहपुरा 9.शांति पुत्री धन्ना पत्नि भूरा कहार निवासी कनेछनकलॉ 10.चन्दा पुत्री धन्ना पत्नि रामप्रसाद कहार निवासी मूसी
11.माया पुत्री धन्ना पत्नि किसन कहार निवासी मूसी
12शाखा प्रबन्धक स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा
13तहसीलदार शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री योगेन्द्र सिंह भाटी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 20 /06 /2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **शाहपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 10110 /7462 रकबा 0.05 है0 10478 /10114 रकबा 0.13 है0 3173 रकबा 0.18 है0 3174 रकबा 0.30 है0 3217 रकबा 0.10 है0 3338 रकबा 0.33 है0 3738 रकबा0.34 है0 4362 रकबा 0.50 है0 6935 रकबा 0.17 है0 7460 रकबा 0.56 है0 7461 रकबा 0.60 है0 7463 रकबा 0.31 है0 7464 रकबा0.83 है0 7465 रकबा 0.39 है0 7466 रकबा 0.36 है0 7467 रकबा 0.20 है0** कुल किता 16 रकबा 5.35 हैक्टेयर के खातेदार प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6 व 8** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 7, 9 लगायत 11** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम शाहपुरा 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी **के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **शाहपुरा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **16 रकबा 5.35 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 2100 रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20 /06 /2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर